

विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। –कहावत

वनकर्मियों के प्राण और सत्ता की संवैधानिक जवाबदेही

वन की सीमा पर डंडा लिए खड़ा वनरक्षक राज्य की संप्रभु शक्ति का सबसे अंतिम प्रतिनिधि है। अतिक्रमण रोकते, अवैध खनिज से लदा वाहन थामते या कटान का माल ज़ब्त करते समय वह विधि द्वारा सौंपा गया लोक-कर्तव्य निभा रहा होता है। ऐसे लोकसेवक पर घातक प्रहार एक व्यक्ति की हत्या भर नहीं, विधि के शासन पर सीधा आक्रमण है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस (11 सितंबर) पर स्मारकों के सामने दोहराए गए संकल्प अभी ताजा हैं, और कर्तव्य-निर्वहन के दौरान वनकर्मियों की हत्याएँ वही प्रश्न फिर सामने रख रही हैं जिसे दशकों से पत्रावलियों में दबाया जाता रहा है: जो वन की रक्षा करते हैं, उनके प्राणों की रक्षा का दायित्व किसका है?

हत्याओं की तत्काल विधिस्मरत गिरफ्तारी तथा ठोस साक्ष्यों पर आधारित प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। अभियोजन इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि दोषियों को कठोरतम दंड मिले और मृत्युदंड की विधिक शर्तें पूरी होने पर उन्हें मृत्युदंड दिलाया जा सके। सरकार मात्र बुलंदीज़र चलाकर अपने संवैधानिक एवं विधिक दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकती।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 हत्या के लिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। लोकसेवक को कर्तव्य से विरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 132) और इसी आशय से उपहति या घोर उपहति कारित करना (धारा 121) स्वतंत्र अपराध हैं। जहाँ हत्या वन-उपज, खनिज या वन्यजीव के अवैध कारोबार को बचाने के लिए हुई हो, वहाँ वन, वन्यजीव और खनन विधियों के उल्लंघन तथा आपराधिक षड्यंत्र भी आरोप-पत्र का अंग बनें।

मृत्युदंड ‘विरतमान में विरल’ प्रकरणों के लिए है, जहाँ गुस्तर परिस्थितियाँ शमनकारी परिस्थितियों पर भारी पड़ें, कर्तव्यरत लोकसेवक की हत्या, या उसके विधिस्मरत कर्तव्य-पालन के परिणामस्वरूप की गई हत्या, गुस्तर परिस्थिति मानी जाती है। किन्तु न्यायालय की तौल उतनी ही विश्वसनीय होती है जितना अनुसंधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(3) के अनुरूप न्यायालयिक विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य-संग्रह, षड्यंत्रकारियों और वित्तपोषकों तक पहुँचता अनुसंधान, गवाहों का संरक्षण और दिन-रखन सुनिवाड़ी। इनमें से एक कड़ी की चूक भी अभियुक्त के लिए संदेह का लाभ बन जाती है।

वन-भूमि का अतिक्रमण अपनी विधिक प्रक्रिया से अवश्य हटे, पर उसे हत्या के दंड का स्थानापन्न बनाना न विधिस्मरत है, न प्रभावी। ध्वंस का दृश्य कुछ दिनों में ओझल हो जाता है, पर शिथिल अनुसंधान से उपजी दोषमुक्ति वर्षों तक व्ह संदेश देती है कि वनकर्मों का प्राण सस्ता है। राज्य की दृढ़ता का प्रमाण ध्वंस की भूल नहीं, न्यायालय में टिकने वाला आरोप-पत्र है।

पिछले दशकों से वन विभाग द्वारा बर्खाबर प्रस्तुत ठोस प्रस्तावों तथा कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबित मौगों एवं सुझावों पर क्रमवर्ती राज्य सरकारों की निष्क्रियता गंभीर प्रशासनिक कर्तव्यव्युत्ति है। सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, संबंधित मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों ने विभाग के सार्थक सुनुद्दीकरण को उपेक्षा की है। सचिवालय में जीवन-सुरक्षा और विभागीय सुनुद्दीकरण की पत्रावलियाँ लंबित रखी गईं, जबकि क्षेत्र में कर्तव्यरत वनकर्मों अपने प्राण गँवाते रहे। इन मौतों का उत्तरदायित्व उन शासनगत निर्णयकर्ताओं पर भी है जिन्होंने जोधिमों और आश्रयस्थताओं से बाहराब अवगत करए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार रखने वालों द्वारा उसका प्रयोग न करना दायित्व से विमुक्ति का आधार नहीं हो सकता। यह उपेक्षा इन मौतों के लिए शासन की संस्थागत और संबंधित मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों की व्यक्तिगत जवाबदेही का प्रश्न है। सार्वजनिक पर के साथ संलग्न निर्णयाधिकार, उसके प्रयोग अथवा प्रयोग न करने के परिणामों के प्रति उत्तरदायित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष हत्याओं को दंडित कराने के साथ-साथ इस प्रित्वर शासनगत कर्तव्यव्युत्ति का उत्तरदायित्व निधारित करना भी आवश्यक है।

यह उपेक्षा केवल अतीत का प्रसंग नहीं है। वर्ष 2023 में ही वन विभाग की ओर से कम से कम दस ठोस प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे, जिन पर मंत्री, मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा शासन के अन्य निर्णयकर्ताओं के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इन प्रस्तावों को तैयार करने में चर्चकोटि के अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक की राजीव चतुर्वेदी ने और मैंने स्वयं साथ बैठकर कम से कम एक माह तक प्रतिदिन 16 से 18 घंटे लगाए थे। उन ठोस प्रस्तावों का क्या हुआ, यह केवल सरकार ही जानती है। वनकर्मियों की समस्याओं पर हर स्तर से समाधान के आश्वासन का झुनझुना बजता रहा; कभी प्रशासनिक विभाग का अडंगा आया, कभी वित्त विभाग का। दलगत सीमाओं से परे, बिना किसी अपवाद के, सभी मुख्यमंत्रियों ने आश्वासनों का झुनझुना ही बजाया है और वन विभाग को कभी स्थान-सम्पन्न नहीं किया। भाषणों में वन-संरक्षण सबका संकल्प है, पर जब अवैध खनन या कब्जे की धर-पकड़ होती है, तब पूरी ताकत वन विभाग के विरुद्ध लगाई जाती है: मुँह में राम, बगल में छुरी। वनों के प्रति यह सीतौला व्यवहार राजस्थान के वनों को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। इस जवाबदेही की गवाही सचिवालय की पत्रावलियों में बँधी रखी है; एक उच्चस्तरीय, समयबद्ध जाँच इतना भर खोल दे कि कौन-सा प्रस्ताव किस

जहाँ वनकर्मियों को बंदूक दी भी गई, वहाँ उसके प्रयोग का अधिकार केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखा गया। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को पहले से प्राप्त है; जिस बंदूक के साथ उससे अधिक अधिकार न मिले, वह कर्तव्य का उपकरण नहीं, वनकर्मों के गले की फाँस है। गोली चलते ही उसी को सिद्ध करना पड़ता है कि प्राण-संकट वास्तविक था, और अपराधी को रोकने गया लोकसेवक स्वयं अभियुक्त बनकर कटघरे में खड़ा होता है।

राज्य जानता है कि उसका कर्मचारी सशस्त्र, संगठित और वाहन-सज्जित अपराधियों से टकराएगा, और फिर भी उसे केवल डंडा धमाकर रात्रि-गुप्त पर भेजता है, वह अपने दायित्व का पालन नहीं, उसका परित्याग कर रहा है। जहाँ लोकस्थ ज्ञात हो, उससे बेचबल के उपाय राज्य के अधिकार में हों और फिर भी वे उपाय न किए जाएँ, वहाँ होने वाली क्षित का उत्तरदायित्व राज्य से अलग नहीं किया जा सकता।

धरालत इस परित्याग का साक्षी है। विधानमं में एक-दो कमरों की चौकी, न आवागमन के लिए वाहन, न सुरक्षा-उपकरण, और हाथ में केवल एक डंडा। अकेला वनरक्षक लगभग 20 से 25 वर्ग किलोमीटर वन संभालता है, जिस पर 15 से 20 गोलों का दबाव हो सकता है। 15 अप्रैल 1947 से 1 अक्टूबर 2026 तक 28,902 दिन बीत चुके; इस बीच चराई, कटान, शिकार, खनन और अतिक्रमण कई गुना बढ़े, और वन-अपराध का तंत्र तेज़ वाहनों, हथियारों, सूचना प्रौद्योगिकी और राजनीतिक संरक्षण से लैस हो गया, जबकि क्षेत्रीय वन-बल स्थानी आ्योजनों को छोड़ लगभग वहीं दहरा है। विडंबना यह भी है कि धर-पकड़ में वन-अपराधी की मृत्यु पर कुछ सरकारों उसके परिवार को 25 लाख रुपये तक देने को तत्पर दिखती है, जबकि वन-रक्षा में प्राण देने वाले वनकर्मों के परिवार को बीमा की मामूली राशि देकर कर्तव्य की इतिथी मान ली जाती है।

जहाँ वनकर्मियों को बंदूक दी भी गई, वहाँ उसके प्रयोग का अधिकार केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखा गया। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को पहले से प्राप्त है; जिस बंदूक के साथ उससे अधिक अधिकार न मिले, वह कर्तव्य का उपकरण नहीं, वनकर्मों के गले की फाँस है। गोली चलते ही उसी को सिद्ध करना पड़ता है कि प्राण-संकट वास्तविक था, और अपराधी को रोकने गया लोकसेवक स्वयं अभियुक्त बनकर कटघरे में खड़ा होता है। ऐसी बंदूक सुरक्षा नहीं, दायित्व (लायबिलिटी) है। अतः वन विधियों में संशोधन कर वन विभाग को वही अधिकार दिए जाएँ जो पुलिस को प्राप्त है: गिरफ्तारी, वन-अपराध की संरक्षण, और जल्दी के प्रतिक्रेश में शस्त्र-बल सज्जित आवश्यक बल-प्रयोग का अधिकार, और सद्भावपूर्ण प्रयोग पर यह संरक्षण कि क्षम प्रार्थिभारी की पूर्व स्वीकृति और स्वतंत्र दंडाधिकारी जाँच के बिना अभियोजन न चले। साथ में प्रशिक्षण और प्रत्येक घटना का अभिलेख अनिवार्य हो, ताकि शक्ति उत्तरदायी रहे।

अवैध गतिविधि रोकने वाले वनकर्मों को रास्ते से हटाने का सबसे सुलभ साधन स्थानांतरण है। जो लोकसेवक जितनी तन्मयता से वन-रक्षा को रक्षा करता है, उसके विरुद्ध उतनी ही बेरहमी से शिकायतें गढ़ी जाती हैं और उसे हटाने की लिखित, मौखिक या दृष्टांत पर सिफारिशें पहुँचती हैं; कई बार उन जनप्रतिनिधियों से भी, जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर पद टाढ़ण किया है। वन-अपराधी के पक्ष में की गई सिफारिश अपराध के संरक्षण का साधन है, और ऐसा आचरण दुष्टेरण, आपराधिक अभिप्रास और लोकसेवक के कर्तव्य में बाधा से संबंधित प्रावधानों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 52 तो दुष्टे्रक को स्वयं उल्लंघनकर्ता के समकक्ष मानती है। सुरासन की माँग है कि मौखिक निर्देश अभिलेख में आएँ, उसी भावना से, वन-अपराध रोकने वाले कर्मचारी के स्थानांतरण से पूर्व लिखित कारण, प्रत्येक सिफारिश और शिकायत का ख़त अभिलेख में दर्ज हो। ऐसे दबाव के सामने वनकर्मों को दो गुण चाहिए: सही बात मानने की विनम्रता और विधि-विरुद्ध बात दुकराने का साहस। यह साहस किसी प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम में नहीं सिखाया जाता; वह ठोस अनुभव और व्यक्तिगत सिद्धांतों पर खरा उतरने की दृढ़ता से उपजता है। पर इस साहस का मूल्य राज्य तय करता है: विधि पर अंडे वनकर्मों के पीछे खड़ा खड़ा दिखे, तभी साहस कर्तव्य बनता है, अन्यथा वही डंड बन जाता है। लोकजीवन का अनुभव यह भी बताता है कि वन-अपराधियों के पक्षधर अंततः अपने ही सार्वजनिक जीवन की प्रतिष्ठा खोते हैं; फिर भी यह प्रवृत्ति थमती नहीं, और ‘विनाश काले विपरित बुद्धिः’ को उक्ति बार-बार चरितार्थ होती है।

अतः राज्य का अनिवार्य दायित्व है कि हथियारों, षड्यंत्रकारियों और आश्रयदाताओं की तत्काल गिरफ्तारी हो; अपराध से अर्जित संपत्ति की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 107 के अंतर्गत कुर्क हो; वर्ष 2023 के प्रस्तावों सहित समस्त लंबित पत्रावलियों की उच्चस्तरीय, समयबद्ध जाँच कर उत्तरदायित्व निधारित हो; वनरक्षक से क्षेत्रीय वन अधिकारी तक वर्तमान संख्या के न्यूनतम चार गुना नए पद सृजित हों; पुलिस के समतुल्य शस्त्र-अधिकार के साथ वाहन, संचार-उपकरण और सुरक्षित आवास मिलें; तथा कर्तव्य-पालन में प्राण देने वाले वनकर्मों के परिवार को पुलिस के समतुल्य अनुठाह-राशि और समयबद्ध अनुकम्पा नियुक्ति मिले।

करोड़ों चिकित्सकों और वैद्यों की सेना भी स्वच्छ वायु और जल के बिना समाज को स्वस्थ नहीं रख सकती। इतिहास में अनेक सभ्यताओं के पतन के कारणों में वन, जल और मिट्टी का कुप्रबंधन दर्ज है; वर्तमान सभ्यता को उसी राह से बचना है तो जितना भी निवेश और प्रयत्न लगे, वनों, वन्यजीवों और प्राकृतिक परिवेश को बचाना ही पड़ेगा। प्राणवायु और पेयजल के स्रोत यही वन हैं, और इनकी रक्षा वह मनुष्य कर रहा है जिसके प्राणों का प्रबंध राज्य ने अधूरा छोड़ रखा है। हथियारों को कठोरतम दंड, उसकी सिफारिश करने वाले को विधिक परिणाम, और सुरक्षा की पत्रावली रोकने वाले निर्णयकर्ता को जवाबदेही, ये एक ही न्याय के तीन अंग हैं। इनमें से एक भी अधूरा रहा, तो वन से पहले वह व्यवस्था ढहेगी जो वन बचाती है, और फिर सौँस की हवा और पीने के पानी का हिसाब समाज को स्वयं चुकाना पड़ेगा।

–अतिथि सम्पादक, डॉ. दीप नारायण पाण्डेय, (पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, राजस्थान; अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफ़ेसर) (यह लेखक के निजी विचार हैं और ‘सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत’ से प्रेरित हैं)

मतदाता सूची जिला कलैक्ट्रेट में वापस लाओ, नहीं तो गाँव-गाँव से लोकतंत्र गायब हो जाएगा



मदन सिंह काला

भारतीय लोकतंत्र में मतदाता ही सरकार बनाने वाला सबसे बड़ा जज है और मतदाता सूची ही सबसे ज्यादा पवित्र संवैधानिक दस्तावेज है। यह कोई साधारण सरकारी फाइल नहीं है। यह सूची ही इस बात का प्रमाण है कि इस सूची में दर्ज मतदाता ही देश का नागरिक है और वही अपनी सरकार चुनता है। कानून ने इस दस्तावेज की रखवाली का जिम्मा किसी साँटवेयर को नहीं, बल्कि आपके जिले के कलेक्टर, एस डी एम और तहसीलदार को दिया हुआ है। आज इसी मूल व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ रहा है।

रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बहुत साफ भाषा में लिखा गया है। इसकी धारा 13बी कहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, जिसे हम ईआरओ कहते हैं, जो अक्सर एसडीएम या तहसीलदार लेवल का ऑफिसर होता है। धारा 13सी कहती है कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में कलेक्टर होगा, जिसे डीईओ कहा जाता है। वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 का रूल 20(3) इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है। यह रूल ईआरओ को यह विवेकाधिकार देता है कि वह तय करे

कि किस क्लेम या ऑब्जेक्शन में व्यक्तिगत सुनवाई जरूरी है और किसमें डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही फैसला हो सकता है। यह अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि वही ऑफिसर गांव को जानता है, वह जानता है कि कौन व्यक्ति गांव में रहता है, कौन रोजगार के लिए पलायन कर गया और किसका निधन हो गया है। इसी लीगल फ्रेम पर हाल में चर्चा तब तेज हुई जब महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 24 सितंबर को केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। उस पत्र में

ईसीआईनेट नामक नए आईटी प्लेटफॉर्म की एक टेक्निकल लिमिटेशन की ओर ध्यान दिलाया गया। जानकारी का कहना है कि जब कोई साँटवेयर कानून में दिए गए विवेकाधिकार को प्रेक्टिकली लागू हो न होने दे, तो टेक्नोलॉजी कानून की हेल्प नहीं, बल्कि बाधा बन जाती है। यहीं से दूसरा बड़ा सवाल उठता है – ईसीआईनेट का लीगल बेस क्या है? 1950 के एक्ट और 1960 के रूल्स में ईसीआईनेट शब्द कहीं नहीं है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इलेक्शन कमीशन को संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन के कंडक्टर और सुपरिटेण्डेंट की पावरस प्राप्त है, और इसी पावर के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग समय-समय पर आईटी प्लेटफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रस्ट्रक्चर जारी करता है। कमीशन का पक्ष है कि ईसीआईनेट का ऑब्जेक्टिव पूरे देश में पारदर्शिता, समरूपता और फास्ट सर्विस लाना है। वहीं सिविल सोसाइटी और इलेक्शन रिफॉर्म एक्टिविस्ट्स का तर्क है कि साईंस और टेक्नोलॉजी का यूज हमेशा प्रचलित लॉ की पालना में ही होना चाहिए। कोई भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए डिमांड यह

उठ रही है कि इस प्लेटफॉर्म का लीगल बेस, डेटा सिक्योरिटी और रूल 20(3) के साथ इसका तालमेल पब्लिकली स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। पुरानी लीगल प्रोजीशन क्या थी, यह समझना आज सबसे जरूरी है। चाहे चुनाव बलैट पेपर से होता था या ईवीएम से, मतदाता सूचियां हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बनती थीं, वहीं सेफ रहती थीं और ईआरओ के सिग्नेचर से ही नाम जुड़ता या कटता था। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीएलओ की पूरी टीम अपने एरिया को जानती थी। अगर किसी का नाम गलत कट जाता था तो उसी दिन कलेक्टर के पास जाकर सुधर जाता था। इस विकेन्द्रीकृत सिस्टम में अकाउंटैबिलिटी फिक्स थी। केंद्रीकृत सिस्टम में करेक्शन का लॉजिक सेंट्रल सर्वर से तय होता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटेड ऑफिसर के हाथ बंध जाते हैं। वह गलती देख तो लेता है, पर उसे सुधारने के लिए उसे ऊपर से आने वाले अलॉरिदम का इंतजार करना पड़ता है।

इसी बैकग्राउंड में मतदाता पत्र की डिमांड भी फिर से उठ रही है। इसके सपोर्टर्स का तर्क है कि दुनिया के कई विकसित देशों ने ईवीएम से चुनाव करवाना बंद कर दिया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनेल कोर्ट ने 2009 में कहा था कि ईवीएम में आम वोटर अपनी आंखों से अपने वोट का सत्यापन नहीं कर पाते, इसलिए यह असंवैधानिक है। नीदरलैंड ने हैकिंग और सिक्योरिटी केसस से ईवीएम को छोड़ा। भारत की ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि यह अपने आप में अकेली चलने वाली मशीन है, जिसे टेक्निकल भाषा में स्टैंडअलोन मशीन कहते हैं, यानी यह किसी भी इंटरनेट, वाई-फाई या नेटवर्क

भारतीय शहरी विकास और लोकहित याचिका : संवैधानिक न्याय की नई दिशा

यह स्थानीय कानूनों के प्रतिकूल हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि इस विशेष भूमि-उपयोग में परिवर्तन क्यों हुआ। कैसे लिए भारतीय जीवन-पद्धति की ऐतिहासिक और सभ्यतागत समझ आवश्यक है। यदि हम भारत के इतिहास को देखें, तो यह सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है कि भारतीय सभ्यता में आवासीय जीवन और व्यावसायिक गतिविधियाँ सह-अस्तित्व में रही हैं।

व्यावसायिक गतिविधियों से आशय ऐसी गतिविधियों से है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को समाज द्वारा स्वीकार किया गया है और इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि वे निवासियों को सुविधा प्रदान करती हैं। जैसे दूध और दही हमारे प्रतिदिन के भोजन का हिस्सा हैं, और इन वस्तुओं को उपलब्ध करने, बेचने या उपलब्ध कराने का किसी व्यक्ति द्वारा प्रयास उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा स्वाभाविक रूप से सराहा जाएगा। वहाँ निवास करने वाले लोगों को इससे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आमरण के कारण यातायात प्रबंधन एक चुनौती बन जाता है। इसका समाधान ऐसी सार्वजनिक हित वाली व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, जो किसी प्रकार का उपद्रव उत्पन्न नहीं करतीं। इसलिए वास्तविक प्रश्न यातायात और यातायात के प्रवास का है, और इसका समाधान व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करके नहीं, बल्कि उपयुक्त व्यवस्थाएँ करके किया जा सकता है।

दूसरी बात, किसी भी विकासशील देश में शहर का नियोजित विकास अपने आप में एक चुनौती है। यह केवल भारत की बात नहीं है। यदि राजस्थान की बात करें, तो यूआईटी, जेडीए अथवा नगर पालिका संबंधी कानून शहरी क्षेत्रों को

से नहीं जुड़ती और कई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स से लैस है, यह इलेक्शन कमीशन का पक्ष है। लेकिन आम नागरिक का कहना है कि प्रजातंत्र में मशीन से ज्यादा जरूरी है मतदाता का विश्वास। जब वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठने लगे, तो लोग कहते हैं कि पेपर पर स्टाम्प वाला मतपत्र ही सबसे ज्यादा पारदर्शी है, क्योंकि उसे कोई भी आम आदमी उसकी गिनती कर सकता है।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं – आम मतदाता क्या करे? क्या सभी मतदाता वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओबी डॉट इन पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है? हकीकत यह है कि नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी देश में करीब 35 से 40 करोड़ मतदाताओं के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है। गांव की बुजुर्ग महिला ओटीपी क्या होता है यह नहीं जानती, माइग्रेट लेबर हर महीने अपना रेंटेड एड्रेस अपडेट नहीं कर सकता, और आदिवासी एरिया में इंटरनेट ही नहीं है। अगर पूरी प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन कर दी गई, तो इसी श्रेणी के मतदाता सबसे पहले मतदाता सूची से बाहर होगा। आप इसे टेक्निकल फॉल्ट कहें या डिजिटल एक्सक्लूजन, रिजल्ट एक ही है – मतदाता अपने मत के अधिकार से वंचित हो जाता है।

कानून में इसका हल पहले से मौजूद है। वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स कहता है कि ड्राफ्ट रोल की कॉपी सिर्फ वेबसाइट पर डालना काफी नहीं है, उसे ईआरओ के ऑफिस, हर पोलिंग बूथ और ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर 21 दिन तक चिपकाना मैटैटेरी है,

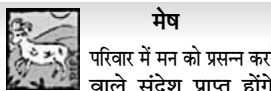
ताकि पाला फोन वाला व्यक्ति भी उसे देख सके। फॉर्म 6 नए नाम जोड़ने के लिए है और फॉर्म 7 किसी का नाम काटने के ऑब्जेक्शन के लिए है। कानून

–मदन सिंह काला , पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी

को लोकहित के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कम-से-कम 20 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव के साथ अपनी सद्भावना सिद्ध करनी चाहिए। न्यायालय को यह भी मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या लोकहित याचिका का प्रभाव भारत के नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा को बाधित करने वाला है। क्या लोकहित याचिका का प्रभाव हितधारकों द्वारा अपने कर्तव्य के परित्याग के रूप में सामने आता है, विशेष रूप से संविधान की योजना के अनुसार विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका को ध्यान में रखते हुए? साथ ही, कार्यपालिका की जिम्मेदारी को संस्थागत रूप से अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता की मूल अपेक्षा यह है कि अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत प्राप्त असाधारण एवं विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायिक संराम, न्यायिक औचित्य और न्यायिक अनुशासन की सीमाओं के भीतर ही किया जाए।

इस विषय को वैकल्पिक तरीकों से भी देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहाँ अत्यधिक यातायात जाम हो, वहाँ सम-विषम दिनों के आधार पर एकतरफा यातायात जैसी व्यवस्थाएँ अपनाई जा सकती हैं। अतः नवीन, मौलिक और भारतीय दृष्टिकोण आवश्यक है। अन्यथा मुझे संविधान सभा में श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा 23 नवंबर 1949 को दिए गए भाषण की याद आती है। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु उसका सिद्धांत इस हद तक हठधर्मिता का रूप नहीं ले सकता कि न्यायपालिका सर्वोच्च विधायिका या सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगे।

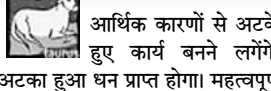
सूर्यप्रभाण सिंह राजावत ,
एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट,जयपुर



मेघ

परिवार में मन को प्रसन करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

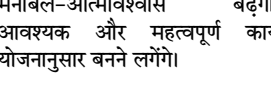
मित्रों/रिस्तदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज नये-पुराने मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।



वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बन लेंगेगे।

अटक हुआ वन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।



मिथुन

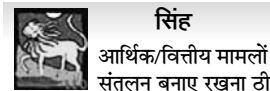
मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य होने नुसार बनने लगेंगे।



कर्क

व्यक्तिगत पेशेराशियां अभी यथावत बनी रहेगी। आज

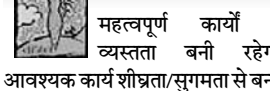
अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संपातित धन प्राप्त होगा।

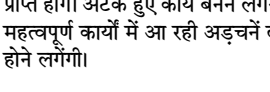
व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



कन्या

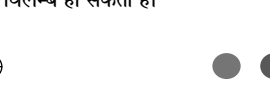
महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।



तुला

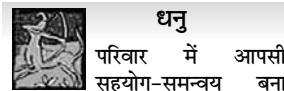
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक अज्ञासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।



वृश्चिक

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम

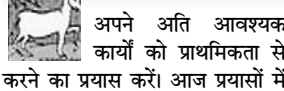
भास में शुभ नहीं है। आज बनने कार्य विफल सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विमर्श हो सकता है।



धनु

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सांसायिक

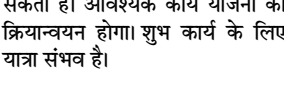
समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



मकर

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से

करने का प्रयास करें। आज प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। घर-परिवार में आनंद रहेगा।



कुंभ

महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आवश्यक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा सभव है।



मीन

घर-परिवार में अतिथियों का आमामन बना रहेगा।

परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।